रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042023-244915
CG-DL-E-03042023-244915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945
No. 218] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

भारत अन्तरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

फा. सं. ए-60011/3/2023-IIAC.—भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 31 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (मध्यस्थों के पैनल में प्रवेश हेतु मानदंड) विनियम, 2023 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 अभिप्रेत है ;

(ख) ''माध्यस्थम् अधिनियम'' से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 अभिप्रेत है ;

(ग) ''केंद्र'' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अभिप्रेत है ;

(घ) ''माध्यस्थम् चैम्बर'' से अधिनियम की धारा 28 के अधीन यथा उपबंधित माध्यस्थम् चैम्बर अभिप्रेत है ;

(ङ) ''अध्यक्ष'' से अधिनियम की धारा 5 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट केंद्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(च) "मध्यस्थों का पैनल" से विनियम 4 के अनुसार केंद्र द्वारा रखे गए मध्यस्थों का पैनल अभिप्रेत है ;

(छ) "अभ्यास निदेशन" से माध्यस्थम् चैनल द्वारा मध्यस्थों को पैनलबद्ध करने के प्रयोजन से समय-समय पर केंद्र द्वारा जारी किए गए निदेश अभिप्रेत हैं ;

(ज) "रजिस्ट्रार" से केंद्र का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ।

(2) सभी शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो यथास्थिति, अधिनियम में या माध्यमस्थम् अधिनियम में उनके हैं ।

3. माध्यस्थम् चैम्बर की संरचना और सदस्य— (1) अधिनियम की धारा 28 के निबंधनों के अनुसार, माध्यस्थम् चैम्बर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभव प्राप्त विख्यात माध्यस्थम् व्यवसायियों और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके पास विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो ।

(2) केंद्र, ऐसे विख्यात व्यक्तियों को आमंत्रित करेगा, जिनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माध्यस्थम् चैम्बर का सदस्य होने के लिए माध्यस्थम् और विकल्पी विवाद समाधान के क्षेत्र में व्यापक अनुभव हो ।

4. मध्यस्थों का पैनल—(1) अधिनियम की धारा 28 के अनुसरण में, माध्यस्थम् चैम्बर मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा और ऐसे व्यक्तियों में से, जो या तो घरेलू या अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् या दोनों में उनकी विशेषज्ञता या अनुभव को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ के रूप में सेवा करने के लिए प्रवीण और इच्छुक हों, मध्यस्थों का एक पैनल रखेगा, जो माध्यस्थम् चैम्बर द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(2) माध्यस्थम् चैम्बर किसी भी समय मध्यस्थों के पैनल में नए नामों को जोड़ सकेगा या मध्यस्थों के पैनल से किसी व्यक्ति के नाम को हटा सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

5. पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन—(1) मध्यस्थों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई आवेदक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास या तो घरेलू माध्यस्थम, अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् या दोनों में विशेषज्ञता और अनुभव का समुचित स्तर हो तथा जिसके पास अच्छी प्रतिष्ठा और आचरण हो । आवेदन केंद्र की वेबसाइट (www.indiaiac.org) पर आनलाइन अधिमानता के रूप में किया जाएगा ।

(2) मध्यस्थ के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए कोई आवेदन इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप के अनुसार भी किया जा सकेगा । प्ररूप के साथ भारतीय मुद्रा में दस हजार रुपए अप्रतिदेय फीस या ऐसी फीस, जो समय-समय पर केंद्र द्वारा पुनरीक्षित की जाए, रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जो माध्यस्थम् चैम्बर का सदस्य-सचिव होगा ।

(3) पैनलबद्ध के लिए किसी आवेदन को, रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे आवेदन की जांच और उस पर विचार करने के लिए माध्यस्थम् चैम्बर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) आवेदन की जांच करने पर, मध्यस्थों के पैनल में नामांकित होने या आवेदन को नामंजूर करने के लिए आवेदक के अनुमोदन देने के पूर्व माध्यस्थम् चैम्बर के सदस्य आवेदक के साथ बातचीत कर सकेंगे ।

6. मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने के लिए मानदंड—(1) माध्यस्थम् चैम्बर निम्नलिखित मानदंड के आधार पर मध्यस्थों को पैनलबद्ध करेगा, अर्थात् :--

(i) आवेदक पैंतीस वर्ष से कम और पचहत्तर वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होगा ;

(ii) आवेदक की शैक्षणिक अर्हता और अनुभव, आवेदक की विशेषज्ञता का क्षेत्र या माध्यस्थम् की कार्यवाही के संचालन के लिए या तो एकमात्र मध्यस्थ के रूप में या किसी माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में विगत पांच वर्षों के भीतर या अन्यथा माध्यस्थम् के क्षेत्र से अत्यधिक सुसंगत हो ;

(iii) आवेदक यह कथन करेगा कि वह किसी दांडिक अपराध या अनुशासनिक कार्रवाई के किसी आचरण के पश्चात् अवचार के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है :

परंतु माध्यस्थम् चैम्बर ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों को अन्यथा भी आमंत्रित कर सकेगा, जिनके पास मध्यस्थों के पैनल में पैनलबद्ध होने के लिए माध्यस्थम् के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और सारवान सुसंगत अनुभव हो ।

(2) किसी व्यक्ति के नाम को या मध्यस्थों के पैनल से अन्यथा सम्मिलित करने के लिए माध्यस्थम् चैम्बर का विनिश्चय अंतिम होगा ।

7. पैनलबद्ध करने की अवधि—केंद्र के साथ किसी मध्यस्थ को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा ।

8. पुन: पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन—(1) इस प्रकार पैनलबद्ध मध्यस्थ पैनलीकरण की अवधि के पूरा होने पर अधिसूचित फीस के साथ पुन: पैनलबद्ध करने के लिए नया आवेदन कर सकेगा ।

(2) माध्यस्थम् चैम्बर पुन: पैनलबद्ध करने के लिए आवेदन पर विचार करते हुए पुन: पैनलबद्ध करने के आवेदन की पूर्व अवधि के दौरान आवेदक के कार्य और आचरण पर विचार कर सकेगा ।

(3) मध्यस्थ के पुन: पैनलबद्ध करने का विनिश्चय माध्यस्थम् चैम्बर द्वारा किया जाएगा, जिसका मध्यस्थ के पुन: पैनलबद्ध करने का अधिकार या न करने का अधिकार होगा और माध्यस्थम् चैम्बर का ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा ।

9. माध्यस्थम् चैम्बर के सदस्यों की पदावधि—(1) माध्यस्थम् चैम्बर के सदस्य की साधारणतया पदावधि दो वर्ष होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(2) माध्यस्थम् चैम्बर का कोई सदस्य केंद्र को एक मास की सूचना देने के पश्चात् अपनी सदस्यता त्याग सकेगा ।

(3) माध्यस्थम् चैम्बर के सदस्य को अन्य माध्यस्थम् संस्थाओं या न्यायालयों द्वारा केंद्र से संपर्क करने वाले पक्षकारों से भिन्न पक्षकारों द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने पर उसे सौंपी गई माध्यस्थम् कार्यवाहियों का संचालन करने की स्वतंत्रता होगी ।

10. माध्यस्थम् चैम्बर के विनिश्चय—(1) माध्यस्थम् चैम्बर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् के लिए मध्यस्थों के पैनलबद्ध करने के लिए आवेदनों पर पृथक्त: विचार कर सकेगा ।

(2) ऐसे पैनलबद्ध करने के संबंध में विनिश्चय माध्यस्थम् चैम्बर द्वारा सहमति से किए जाएंगे ।

(3) पैनलबद्ध करने या अन्यथा के संबंध में सदस्यों के बीच किसी सहमति के न होने की दशा में केंद्र के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

11. अभ्यास निदेशन—केंद्र, समय-समय पर ऐसे अभ्यास निदेशन, जो माध्यस्थम् चैम्बर द्वारा मध्यस्थों के पैनलीकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जाएं, अभ्यास निदेशन जारी कर सकेगा और ऐसे अभ्यास निदेशनों को सभी संबंधित की सूचना के लिए केंद्र की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

12. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्र की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा कारणों को लेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

प्ररूप

[विनियम 5(2) देखें]

जीवनवृत्त

(भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र के उपयोग के लिए । मध्यस्थ के अनुभव और आधारभूत वैयक्तिक ब्यौरों को केंद्र की वेबसाइट पर रखा जाएगा)

वैयक्तिक सूचना :	
प्रथम नाम	
अंतिम नाम	
जन्म की तारीख	
निवास का पता	
टेलीफोन नंबर	
कार्यालय नंबर	
ई-मेल आईडी	

कारबार का पता (जहां लागू हो, कंपनी या फर्म के नाम का वर्णन करें)	
वेबसाइट, यदि कोई हो	
पत्राचार का पता	
व्यवसायिक सूचना :	
शैक्षणिक अर्हताएं	
वर्तमान व्यवसाय, व्यवसायिक कार्यकलाप और पद	
कृपया जो लागू वृत्ति का चयन करें :	(क) भूतपूर्व न्यायाधीश (ख) अधिवक्ता (ग) इंजीनियर (घ) चार्टर्ड लेखापाल/कंपनी सचिव/लागत एवं संकर्म लेखापाल (ङ) वास्तुकार (च) सेवा, जिसके अंतर्गत सरकार के ज्येष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं (छ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
यदि (क)	नियुक्ति की तारीख सेवानिवृत्ति की तारीख धारित अंतिम पद माध्यस्थम्, मध्यकता या सुलह में अनुभव

यदि, (ख), (ग), (घ) या (ङ)	वृत्तिक के मामले में, नामांकन संख्या, वृत्तिक के रूप में नामांकन की तारीख और प्राधिकारी/विनियामक जहां नामांकित है, के ब्यौरे ; माध्यस्थम् के क्षेत्र में वृत्तिक की अवधि ; मध्यस्थ होने और माध्यस्थम् संचालन करने के लिए अनुभव का क्षेत्र ; आय-कर विवरणी के अनुसार पिछले पूर्व तीन वर्ष की कुल वृत्तिक आय ।
यदि (च) या (छ)	कृपया उपरोक्त के निबंधन में अपेक्षित पारी मैटिरिया ब्यौरे उपलब्ध कराएं ।
आवेदक जहां सेवानिवृत्त अधिकारी है, के मामले में क्या कोई शास्ति विभागीय कार्यवाही के अनुसरण में आरोपित की गई थी, शास्ति के सुसंगत ब्यौरो के साथ उल्लेख करें या क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हैं । यदि हां, तो उसके ब्यौरे ।	
आवेदक जहां एक वृत्तिक है, के मामले में क्या कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की गई थी और	

विनिश्चित की गई थी या आवेदक के विरूद्ध वृत्तिक से संबंधित विनियामक/परिवाद प्राधिकारी के पास लंबित है । यदि हां, तो उसके ब्यौरे जिसमें वृत्तिक विनियामक/परिवाद प्राधिकारी के ब्यौरे शामिल हों ।	
उस मामले में जहां आवेदक वर्तमान में सरकार में किसी अधिकरण/प्राधिकरण/अर्ध-न्यायिक निकाय या स्वशासी निकाय के सदस्य के रूप में नियोजित है, तो अवधि के साथ पदनाम सहित अधिकरण/प्राधिकरण/निकाय का नाम उपलब्ध कराए, आवेदक को मध्यस्थ के रूप में पैनलित होने और मध्यस्थ के रूप में कार्रवाई का संचालन करने के लिए अधिकरण/प्राधिकरण/निकाय की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करे ।	
आवेदक का किसी अन्य संस्था में मध्यस्थ के रूप में नामित होने की दशा में कालानुक्रमिक अनुक्रम में नामित होने की तारीख के साथ संस्था/संस्थाओं के नाम/नामों को प्रदान किया जा सकेगा ।	
तदर्थ माध्यस्थम् में (केवल मध्यस्थ या अन्य के रूप में) मध्यस्थ के रूप में आवेदक द्वारा संचालित किए गए माध्यस्थम् मामलों की संख्या ।	
माध्यस्थम् संस्था के अभिकरण के अधीन माध्यस्थम् अधिकरण (केवल मध्यस्थ या अन्य) के सदस्य के रूप में आवेदक द्वारा संचालित मामलों की संख्या ।	
माध्यस्थम् मामलों में न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संचालित मुकद्दमों की संख्या (केवल उस दशा में जहां आवेदक अधिवक्ता के वर्ग में है) ।	
जनरल/पुस्तक/प्रकाश के नामों के साथ माध्यस्थम् के क्षेत्र में आवेदक द्वारा अकादमिक उपलब्धियां/प्रकाशन और लेख/लेखों के ब्यौरे ।	
वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र जैसे मध्यकता/सुलह के अन्य क्षेत्र में आवेदक का अनुभव ।	
क्या आवेदक घरेलू माध्यस्थम् या अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् या दोनों में पैनलित है, विनिर्दिष्ट करे ।	
माध्यस्थम् प्रक्रिया के संचालन हेतु स्थल (शहर) के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट प्राथमिकता जब आवेदक की नियुक्त पर विचार किया जा रहा हो ।	
कोई अन्य जानकारी/ब्यौरे जिसे आवेदक प्रस्तुत करना चाहे ।	

घोषणा और सहमति

ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान में सत्य और सही है ।

केन्द्र मेरे व्यक्तिगत ब्यौरे और मेरे अनुभव के ब्यौरे केन्द्र की वेबसाइट पर रखने के लिए प्राधिकृत है ।

आवेदक के हस्ताक्षर:....................

तारीख:....................

स्थान:....................

आवेदन के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की जांच सूची	
1	आवेदक का विवरण कि वह किसी दाण्डिक अपराध या किसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के संचालन के पश्चात् अवचार के लिए न्यायालय द्वारा दोषी नहीं किया गया है और यह कि कोई दाण्डिक मामला या कोई विभागीय कार्यवाही उसके विरूद्ध लंबित नहीं है ।
2	आवेदक के वृत्तिक होने की दशा में सुसंगत संस्था से नामांकन का प्रमाणपत्र (उदाहरण, भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय चार्टर्ड अकांटेंट संस्थान आदि)
3	आवेदक की आवेदक के अनुभव के क्षेत्र में सुसंगत शैक्षिक अर्हता और अनुभव या पिछले पांच वर्षों के भीतर या तो केवल मध्यस्थ के रूप में या किसी माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में माध्यस्थम् कार्यवाही को संचालित करने का अनुभव या माध्यस्थम् के क्षेत्र में अन्य सुसंगत अनुभव के लिए सहायक दस्तावेज ।
4	आवेदक के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने के मामले में, संबंधित विभाग से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र ।
5	पूर्व दो वर्षों की आवेदक की आय-कर विवरणी (केवल उस मामले में, जहां आवेदक सेवा और पूर्व न्यायाधीश के अलावा प्रवर्ग से है) ।
6	मध्यस्थ/माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में आवेदक द्वारा संचालित किए गए मामलों की सूची ।
7	मध्यस्थ/माध्यस्थम् अधिकरण के सदस्य के रूप में आवदेक द्वारा प्रकाशित माध्यस्थम् पंचाटों की वर्ष-वार संख्या ।
8	माध्यस्थम् मामलों की सूची जहां आवेदक माध्यस्थम् अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुआ है ।
9	न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संचालित किए गए माध्यस्थम् संबंधित मामलों की संख्या और सूची ।
10	आवेदक द्वारा संचालित किए गए माध्यस्थम् मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों की प्रतियां ।
11	माध्यस्थम् के क्षेत्र सहित आवेदक की अकादमीक उपलब्धियां प्रकाशन, लेख/लेखों के ब्यौरे ।

हेमंत गुप्ता, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./744/2022-23]

INDIA INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

F. No. A-60011/3/2023-IIAC.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section28 read with clause (e) of sub-section (2) of section 31 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the India International Arbitration Centre hereby makes the following regulations, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the India International Arbitration Centre (Criteria for Admission to the panel of arbitrators) Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the India International Arbitration Centre Act, 2019;

(b) "Arbitration Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996;

(c) "Centre" means the India International Arbitration Centre established and incorporated under section 3 of the Act;

(d) "Chamber of Arbitration" means the Chamber of Arbitration as provided under section 28 of the Act;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Centre referred to in clause (a) of section 5 of the Act;

(f) "panel of arbitrators" means the panel of arbitrators maintained by the Centre in accordance with regulation 4;

(g) "practice directions" means the directions issued by the Centre from time to time for the purpose of empanelment of arbitrators by the Chamber of Arbitration;

(h) "Registrar" means the Registrar of the Centre.

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act or the Arbitration Act, as the case may be.

3. Composition and Members of the Chamber of Arbitration.— (1) In terms of section 28 of the Act, the Chamber of Arbitration shall consist of members who are experienced arbitration practitioners of repute, at national and international level, and persons having wide experience in the area of alternative dispute resolution.

(2) The Centre would invite persons of repute, at national and international level, and having wide experience in the area of arbitration and alternative dispute resolution to be a member of the Chamber of Arbitration.

4. Panel of arbitrators.—(1) Pursuant to section 28 of the Act, the Chamber of Arbitration shall empanel arbitrators and maintain the panel of arbitrators from amongst persons who are proficient and willing to serve as arbitrators subject to their expertise and experience, for either domestic or international arbitration or both, as may be determined by the Chamber of Arbitration.

(2) The Chamber of Arbitration may at any time add new names to the panel of arbitrators or remove the name of any person from the panel of arbitrators as it deems fit.

5. Application for empanelment.—(1) An applicant wishing to apply to be on the panel of arbitrators shall be a person having appropriate level of expertise and experience either in domestic arbitration, international arbitration or both and shall be of good standing and character. The application shall preferably be made online on the website of the Centre (www.indiaiac.org).

(2) An application for empanelment as an arbitrator may also be made as per the *Form annexed* to these regulations. The Form shall be submitted to the office of the Registrar, who shall be the Member Secretary of the Chamber of Arbitration, accompanied by a non-refundable fee of ten thousand rupees in Indian currency or such fee as may be revised from time to time by the Centre.

(3) An application for empanelment shall be put up by the Registrar before the Chamber of Arbitration for scrutiny and consideration of such application.

(4) Upon scrutiny of the application, the members of the Chamber of Arbitration may hold an interaction with the applicant before according approval to the applicant to be enrolled on the panel of arbitrators or rejecting the application.

6. Criteria for empanelment of arbitrator.—(1) The Chamber of Arbitration shall empanel the arbitrators on the basis of following criteria, namely:-

(i) the applicant shall not be less than thirty five years and not more than seventy five years of age;

(ii) the educational qualifications and experience of the applicant shall be largely relevant to the applicant's field of expertise or of conduct of arbitration proceedings either as a sole arbitrator or as a member of any Arbitral Tribunal, within the last five years or otherwise related to the field of arbitration;

(iii) the applicant shall furnish a statement that he has not been found guilty by a Court for any criminal offence, or for misconduct after conduct of disciplinary proceedings and that no criminal case or any departmental proceeding is pending against him:

Provided that the Chamber of Arbitration may even otherwise invite eminent persons having specialised knowledge and substantial relevant experience in the field of arbitration for being empaneled on the panel of arbitrators.

(2) The decision of the Chamber of Arbitration for the inclusion of the name of a person or otherwise on the panel of arbitrators shall be final.

7. Period of empanelment.- The empanelment of an arbitrator with the Centre shall be for a maximum period of five years.

8. Application for re-empanelment.—(1) The arbitrator so empaneled may make a fresh application for re-empanelment along with the notified fee on completion of the term of empanelment.

(2) The Chamber of Arbitration, may, while considering the application for re-empanelment, consider the work and conduct of the applicant during the term preceding the application for re-empanelment.

(3) The decision on the arbitrator's re-empanelment shall be taken by the Chamber of Arbitration, which reserves the right to re-empanel the arbitrator or not and such decision of the Chamber of Arbitration shall be final.

9. Tenure of the members of the Chamber of Arbitration: - (1) A member of the Chamber of Arbitration shall ordinarily have a termof two years and shall be eligible for reappointment.

(2) Any member of the Chamber of Arbitration can relinquish his membership after giving one month notice to the Centre.

(3) The members of the Chamber of Arbitration shall be at liberty to conduct arbitration proceedings entrusted to them by other arbitral institutions or Courts or upon being appointed as arbitrator by the parties other than parties approaching the Centre.

10. Decisions of the Chamber of Arbitration.—(1) The Chamber of Arbitration may consider applications for empanelment of arbitrators for domestic and international arbitration separately.

(2) The decisions regarding such empanelment shall be taken by the Chamber of Arbitration by consensus.

(3) In case no consensus is reached between the members regarding empanelment or otherwise, the decision of the Chairperson of the Centre shall be final and binding.

11. Practice directions.—The Centre may from time to time issue practice directions which may be considered necessary for the purposes of empanelment of arbitrators by the Chamber of Arbitration and such practice directions may be published on the website of the Centre for the information of all concerned.

12. Power to relax.—Where the Centre is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

FORM

[see regulation 5 (2)]

CURRICULUM VITAE

(For use of the India International Arbitration Centre. The arbitrator's experience and the basic personal details shall be put on the Centre's website)

Personal Information:	
First name	
Middle name and Last name	
Date of Birth	
Residential address	
Telephone number	
Office number	
E-mail ID	
Business address (where applicable, mention company or firm name)	
Website, if any	
Correspondence Address	
Professional Information:	
Academic qualifications	
Current occupation, professional activity(ies) and position(s)	
Please select the applicableprofession:	(a) Former Judge (b) Advocate (c) Engineer

	(d) Chartered Accountant / Company Secretary / Cost & Works Accountant (e) Architect (f) Service including senior officers of the Govt. (g) Others (please specify)
If (a)	The date of appointment The date of retirement Last position held Experience in arbitration, mediation, or conciliation.
If (b), (c), (d) or (e)	In case of a professional, enrolment number, date of enrolment as a professional and the details of authority/regulator where enrolled; Length of professional experience in the field of arbitration; Areas of expertise for becoming an arbitrator and conducting arbitration; Net professional income of the last three preceding years as per Income Tax Return.
If (f) or (g)	Please provide requisite *pari materia* details in terms of the above.
In case of applicant being a retired official, mention whether any penalty was imposed pursuant to departmental proceedings along with relevant details of penalty or whether any disciplinary proceedings are pending. If so, details thereof.	
In case of applicant being a professional, whether any disciplinary proceedings were initiated and decided or are pending against the applicant with the regulator of/ complaint authority relating to the profession. If so,details thereof including the details of the professional regulator/ complaint authority.	
In case the applicant is presently employed as member of any Tribunal/Authority/quasi-judicial body in Government or in autonomous body, provide name of the Tribunal/ Authority/body with designation along with tenure and no objection certificate on behalf of the Tribunal/Authority/ body to the applicant for being empanelled as arbitrator and conduct of proceedings as arbitrator.	
In case the applicant is empaneled as an arbitrator with any other institution, the name/s of the institution/s with the date of empanelment, in chronological order may be provided.	
Number of arbitration matters conducted by the applicant as an arbitrator in *ad hoc* Arbitrations (as sole arbitrator or otherwise).	
Number of cases conducted by the applicant as a member of arbitral tribunal (sole arbitrator or otherwise) under the aegis of an arbitral institution.	
Number of litigations conducted by the applicant before Courts in arbitration matters (only in case applicant is from the category of advocates).	
Details of academic achievements/publications and articles/writings by the applicant including in area of arbitration, along with the name of journal/book/ publication.	
Experience of applicant in other fields of	

alternative dispute resolution mechanisms such as mediation / conciliation.	
Specify whether application for empanelment is for domestic arbitration or international arbitration or both.	
Any specific preference with respect to venue (city) for conduct of arbitration proceedings, when the applicant may be considered for appointment.	
Any other information/details which the applicant may like to furnish.	

Declaration and Consent

The information given above is true and correct to my knowledge.

The Centre is hereby authorized to place my personal details and the details of my experience on the Centre's website.

Signature of the applicant:________________________

Date: ______

Place __

Checklist of documents to be submitted along with the application:	
1	Statement of the applicant that he has not been found guilty by a Court for any criminal offence, or for misconduct after conduct of disciplinary proceedings and that no criminal case or any departmental proceeding is pending against him.
2	In case the applicant is a professional, certificate of enrolment with the relevant institute (for example, Bar Council of India, Institute of Chartered Accountants of India, *etc*).
3	Supporting documents for educational qualifications and experience of the applicant relevant to the applicant's field of expertise or of conduct of arbitration proceedings either as a sole arbitrator or as a member of any Arbitral Tribunal, within the last five years or otherwise related to the field of arbitration.
4	In case the applicant is a retired government employee, a vigilance clearance certificate from the concerned department.
5	Income tax returns of the applicant for preceding two years (only in case of applicants from categories other than Service & former Judge).
6	List of cases conducted by the applicant as an arbitrator/member of an arbitral tribunal.
7	Year wise number of arbitral awards published by the applicant as an arbitrator/member of an arbitral tribunal.
8	List of arbitration matters where applicant has appeared before arbitral tribunal.
9	Number and list of arbitration-related matters conducted by the applicant before Courts.
10	Copies of judgments pronounced by courts in arbitration matters conducted by the applicant.
11	Details of academic achievements, publications, articles/writings of the applicant including in the area of Arbitration.

HEMANT GUPTA, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./744/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA